

कार्यालय नगर पालिका परिषद हरदा जिला हरदा (म.प्र.)

Email-cmoharda@mpurban.gov.in

<https://nagarpalikaharda.org>

क्रमांक. 931/लो.नि./2026

conn. 07577222238

Toll free No 18002331353

हरदा दिनांक 16/2/26

//आनलाईन निविदा//

निम्न कार्यों में लगने वाली सामग्री वर्ष 2026-27 हेतु निविदा वेबसाईड www.mptender.gov.in पर विभागीय कार्य हेतु मटेरियल की दरें आमंत्रित की गई हैं। निविदा प्रपत्र वेबसाईट पर दिनांक 18/2/26 से 20/03/26 तक क्य की जा सकती है। बीड सबमीट 20/03/26 समय 5:30 तक निविदा संसोधित होने की स्थिति में वेबसाईड पर ही देखा जा सकता है। विस्तृत निविदा सूचना आमंत्रण एवं अन्य जानकारी उक्त वेबसाईड पर देखी जा सकती है।

क्र	एन.आई. टी.नं.	टेण्डर नं.	सामग्री का नाम	दर	अनुमानितराशि लगभग	अमानत राशि	निविदा फार्म मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4914	16/02/26	जे0सी0बी0 मशीन किराये पर प्रतिमाह ड्राईवर सहित	प्रतिमाह	25 लाख	18750	5000

शर्त :-

1. निविदा दाता को निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व गत वित्तीय वर्ष तक का आयकर चुक्ता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. सेवा की दरें प्रस्तुत करते समय निविदादाता को अपनी फर्म का पंजीयन नम्बर एवं लाईसेंस देना अनिवार्य होगा।
3. नगर पालिका अपनी सुविधा अनुसार सेवा लेगी एवं भुगतान अपनी सुविधा अनुसार करेंगी।
4. सेवा कि आपूर्ति निविदा में दी गई शर्तों व मांग के अनुरूप गुणवत्ता पूर्वक होना चाहिए सामग्री सेवा का भुगतान सेवा कि जाँच के बाद किया जावेगा।
5. निविदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को होगा। इसके लिए कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
6. संविदाकारो से अनुबंध संपादन के समय पॉंच प्रतिशत प्रतिभूति राशि, कार्य की अनुमानित लागत या सामग्री/सेवा या माल के अनुमानित मूल्य के मान से जमा करायी जाना होगी।
7. दरें समस्त कर (जी0एस0टी) सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. 2 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य होगा।
9. प्रदाय आदेश के जारी होने के बाद सात दिवस के अन्दर सामग्री/सेवा उपलब्ध कराना होगा। अन्यथा अन्य प्रदाय कर्ता से सामग्री/सेवा प्राप्त कर होने वाली क्षति पूर्ति निविदादाता से की जावेगी।
10. निविदा की वैधता खोले जाने की दिनांक से 120 दिन तक मान्य होगी।
11. निविदा से संबंधित अन्य आवश्यक जानकारी कार्यालयीन समय में न.पा.की लोक निर्माण शाखा से प्राप्त की जा सकती है।
12. जे.सी.बी. वाहन का रजिस्ट्रेशन, बीमा, ड्राईवर का लाईसेंस, एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
13. जे.सी.बी. हेतु डीजल निकाय से उपलब्ध किया जावेगा।
14. जे.सी.बी. की मरम्मत एवं संधारण की समस्त जबाबदारी निविदादाता की होगी, आयल, ग्रीस एवं अन्य मरम्मत सामग्री निविदादाता को उपलब्ध कराना होगा।
15. एम माह में 260 घण्टे के अतिरिक्त यदि जे.सी.बी. उपयोग में ली जावेगी तो उसका भुगतान अतिरिक्त प्रति घण्टे से किया जावेगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, हरदा